भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1499
09 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए योजनाएं

1499. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीली क्रांति प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत देश का मत्स्यपालन क्षेत्र अपर्याप्त अवसंरचना, कम मशीनीकरण और कार्यशील पूंजी तक सीमित पहुंच से ग्रस्त है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मत्स्यपालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि उप-योजना (पीएमएमकेएसएसवाई) के अंतर्गत कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है;
(ग) क्या आवंटित निधि का पूर्णतः उपयोग किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या मछुआरों और मत्स्यपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा लक्षित लाभार्थियों, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला मछुआरों तक पहुंच गई है और यदि हां, तो उक्त लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो योजना में शामिल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सरकार ने मत्स्य उत्पादकता और तटीय आजीविका पर नीली क्रांति के वास्तविक प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो उक्त योजना के निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो कोई व्यापक मूल्यांकन न करने के क्या कारण है; और
(च) क्या सरकार ने समग्र क्षेत्रीय विकास के लिए सागरमाला, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और अन्य योजनाओं के साथ समन्वय सुनिश्चित करने हेतु कोई सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित किए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2020-21 से देश में मात्स्यिकी और जलकृषि क्षेत्र के सर्वांगिण विकास के लिए एक प्रमुख योजना "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" (PMMSY) को कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएमएसवाई, का लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ आधुनिक पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है जिसमें आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, मत्स्य परिवहन वाहन, फिश मार्केट और फिशिंग हारबर्स और फिश लैंडिंग सेन्टर्स का विकास और आधुनिकीकरण शामिल है। विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक) के दौरान, पीएमएमएसवाई के तहत स्मार्ट और इंटीग्रेटेड फिशिंग हारबर्स सहित फिशरीज़ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 5740.89 करोड़ रुपए के कुल लागत पर परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार भी स्मार्ट और इंटीग्रेटेड फिशिंग हारबर्स और होलसेल फिश मार्केट में मशीनीकरण सुविधाएँ लगाने में सहायता प्रदान कर रहा है ताकि उनकी दक्षता बढ़ाई जा सके, ऐसी फिशरीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के सुचारू संचालन और प्रभावी प्रबंधन की सुविधा मिल सके।

इसके अलावा, मात्स्यिकी क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भारत की केन्द्र सरकार ने 2018-19 के दौरान 7522.48 करोड़ रुपए के कुल फंड के साथ फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) बनाया है और अब तक FIDF के तहत 6448.83 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है, जिसमें ब्याज अनुदान (इंटरेस्ट सबवेंशन) के लिए परियोजना लागत 4330.33 करोड़ रुपए तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 2019 से मछुआरों और मत्स्य किसानों तक उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधाओं का विस्तार किया है।

(ख) और (ग): विगत तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25) और वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26) के दौरान, विभिन्न मात्स्यिकी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 6002.00 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिनमें शामिल है (i) प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह- योजना (PM-MKSSY) सहित प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और (ii) फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) और इस आवंटन में से, अब तक विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी करने के लिए 4117.29 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया। उपरोक्त अवधि के दौरान आवंटित और उपयोग की गई निधि का योजना-वार विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	**योजना**	**आवंटित निधि**	**उपयोग की गई निधि**	**टिप्पणी**
(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**	**(v)**
1.	प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह- योजना (PM-MKSSY) सहित प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)	5910.00	4047.89	(i) PMMSY के केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक के तहत PM-MKSSY, एक उप-योजना है। इस उप-योजना के तहत फंड का उपयोग वित्त वर्ष 2024-25 से शुरू हो गया है। (ii) FIDF एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है और (NLEs) द्वारा दिए जाने वाले स्वीकार्य ऋण पर इंटरेस्ट सबवेंशन(ब्याज अनुदान) को पूरा करने के के लिए सरकारी बजट का उपयोग नोडल लोनिंग एंटिटीज़ द्वारा किया जाता है। (ख) बजट के आबंटन और उपयोग के बीच अंतर के मुख्य कारण इस प्रकार हैं; भारत सरकार द्वारा जारी निधि प्रवाह तंत्र संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विलंब, राज्य के हिस्से के अंशदान में विलंब और अपेक्षित प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करने में विलंब आदि
2.	फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF)	92.00	69.40	
	कुल	**6002 .00**	**4117.29**	

(घ): किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत, मछुआरे, मत्स्य किसान (व्यक्तिगत एवं समूह/साझेदार/बटाईदार/पट्टा किसान), स्व-सहायता समूह, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप और महिला समूह, जिनके पास मात्स्यिकी से संबंधित संपत्ति जैसे तालाब, टैंक, खुले जल निकाय, रेसवे, हैचरी, रेयरिंग यूनिट, नाव, जाल और ऐसे अन्य फिशिंग गियर, फिशिंग लाइसेंस के साथ फिशिंग वेसल्स हैं, वे किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत, अब तक मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों को 3692.73 करोड़ रुपए की लोन के साथ 4.94 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

(ड़) : भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित PMMSY सहित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) का व्यापक मूल्यांकन, M/s NABARD कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस (DMEO), नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) आयोग द्वारा किया गया है। व्यापक मूल्यांकन अध्ययन ने PMMSY द्वारा उत्पन्न प्रभाव को रेखांकित करते हुए इसे जारी रखने की सिफारिश की है।

(च): प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में फिशिंग हारबर्स/फिश लैंडिंग सेन्टर्स के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम और और किसी भी अन्य स्वीकार्य गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण (कनवरजेन्स) और जुड़ाव की परिकल्पना की गई है। विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25) के दौरान मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने सागरमाला के साथ मिलकर कुल 1788.34 करोड़ रुपए की लागत से 8 फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं।
